उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–4
संख्या– 2528ख/छः–पु–4–2021–02(90)बी/2021
दिनांक : 06 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

चूँकि राज्यपाल की यह राय है कि दिनांक 03.10.2021 को जनपद–लखीमपुर खीरी में 08 व्यक्तियों की हुई मृत्यु की सम्पूर्ण घटना से संबंधित लोक महत्व के विषय की जॉच आयोजित करना आवश्यक है।

2. अतएव, अब, जॉच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, न्यायमूर्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (सेवानिवृत्त) श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को एकल सदस्यीय जॉच आयोग, जिसका मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा, के रूप में नियुक्त करती हैं।

3. चूँकि राज्यपाल की राय है कि की जाने वाली जॉच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतः राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन यह निदेश देती हैं कि उक्त धारा 5 की उप धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।

4. आयोग, इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 02 मास की अवधि के भीतर अपनी जॉच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, शासन की ओर से किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

–2–

Janch Ayog

संख्या–2528ख (1)/छः–पु–4–2021–2(90)बी/2021 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 एसबाग, लखनऊ को दिनांक 10.2021 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिशिष्ट आदेश के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ अधिसूचना की 25 प्रतियां गृह पुलिस अनुभाग–4 को भेज दी जाय।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–2528ख(2)/छः–पु–4–2021–2(90)बी/2021 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
8 जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
9. पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
10. कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. गृह (पुलिस) अनुभाग–7।
12. वित्त (व्यय नियत्रण)अनुभाग–6/12।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

janch Ayog

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 2528 kha/chha-pu-4-2021-2(90)B/2021 dated 06 October, 2021:

NOTIFICATION
No- 2528 kha/chha-pu-4-2021-2(90)B/2021
Lucknow : dated 06 October, 2021

Whereas the Governor is of the opinion that it is necessary to hold an enquiry with regard to matter of public importance regarding the entire incident of death of 08 persons in Lakhimpur Kheri District on dated 03-10-2021.

2- Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of enquiry Act, 1952(Act no. 60 of 1952), the Governor is pleased to appoint Justice High Court, Allahabad (Retd.) Shri Pradeep Kumar Srivastava as a single member Commission of enquiry with Headquarters at Lakhimpur Kheri.

3- The Governor, being of the opinion that having regard to the nature of the enquiry to be made and other circumstances of the case, it is necessary so to do, is further pleased to direct under sub-section (1) of section 5 of the said Act, that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the section 5 shall apply to the Commission.

4- The Commission shall comlete the enquiry within a period of two months from the date of the issue of this notification. Any change in its tenure shall be at the behest of the Government.

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)
Additional Chief Secretary

u

janch Ayog